सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 770 राँची, शनिवार

2 कार्तिक, 1937 (श०)

24 अक्टूबर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

22 सितम्बर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-546/2014 का०- 8495--श्री राम नारायण सिंह, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-बेगुसराय), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ, देवघर के विरूद्ध विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता एवं अनियमितता बरतने, मुख्यालय में आवासन नहीं करने आदि संबंधी आरोप उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1095, दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा प्रतिवेदित है।

उक्त आरोपों के लिए श्री सिंह को विभागीय आदेश सं0-1740, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया है तथा विभागीय संकल्प सं0-1831, दिनांक 04 अप्रैल, 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है।

तत्पश्चात्, श्री सिंह से प्राप्त आवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत आदेश सं0-8039, दिनांक 11 जुलाई, 2012 द्वारा इन्हें आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया है।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड के पत्रांक-331, दिनांक 23 अगस्त, 2013 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इसके समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0-11362, दिनांक 26 नवम्बर, 2013 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं निन्दन का दण्ड इनपर अधिरोपित किया गया है।

इस प्रकार, श्री सिंह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ, देवघर के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोपों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2011 से 11 जुलाई, 2012 तक निलंबित रहे हैं एवं इन आरोपों के लिए दंडित भी किया गया है।

श्री सिंह के निलंबन अवधि दिनांक 31 मार्च, 2011 से 11 जुलाई, 2012 तक को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97(1)(क)(ख) के तहत् निम्नवत् विनियमित किया जाता हैः-

1. निलंबन अवधि में श्री सिंह को मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

2. पेंशनादि के प्रयोजनार्थ निलंबन अवधि की गणना कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 770—50 ।